न्यायालय सहायक कलेक्टर, बागोड़ा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मसरा पुत्र केवदा उम्र 64 वर्ष जाति सुथार निवासी बाली तहसील बागोड़ा जिला जालोर।		1. तगा पुत्र गेना जाति पुरोहित निवासी बाली तहसील बागोड़ा जिला जालोर।
2. भूरा पुत्र रगा उम्र 60 वर्ष		2. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, बागोड़ा जिला–जालोर।
3. स्व. मोहन पुत्र रगा के कायम मुकाम :–		
(1) ईश्वर पुत्र मोहन उम्र 16 वर्ष ना.बा. जरिए माता सुआ		
(2) मुकेश पुत्र मोहन उम्र 14 वर्ष ना.बा. जरिए माता सुआ		
(3) सुआ पत्नी मोहन उम्र 40 वर्ष		
4. भमरा पुत्र रगा उम्र 42 वर्ष		
5. हडमता पुत्र रगा उम्र 40 वर्ष		
6. गणपत पुत्र रगा उम्र 37 वर्ष		
7. मांगीलाल पुत्र आदा उम्र 72 वर्ष जातियान पुरोहित निवासीगण बाली तहसील बागोड़ा जिला–जालोर।		

दावा बाबत् खातेदारी हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री गोरधनराम विश्नोई, अधिवक्ता वादीगण

श्री वगताराम चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

मुकदमा संख्या :– 35 /2018 दिनांक :– 11/10/2018

–: निर्णय :–

वादीगण ने उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के दावा बाबत् खातेदारी हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बाली में आराजी गत खसरा नंबर 414 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा किस्म रेल दोयम पूर्व खातेदार डूंगरा, पीरा, परागा पि. भगवाना 1/2 हिस्सा, तोला, रगा, हेमा, तगा पिसराना हीरा, तगा वल्द गेना 1/2 हिस्सा कौम पुरोहित साकिन देह डोलीदार खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029 में दर्ज हुई, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 तगा का नाम उक्त मिसल में दूसरी बार खातेदारी में गलत रूप दर्ज किया गया है। तगा गेना का जायंदा पुत्र है तथा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, तोला का 1/8 हिस्सा, रगा का 1/8 हिस्सा, हेमा का 1/8 हिस्सा बनता है, लेकिन तगा का दूसरी बार नाम गलत दर्ज होने से तगा का 1/4 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया, जिसके समर्थन में नकल प्रथम खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029 एवं पुरानी जमाबंदी संवत् 2012 से 2045 मौजा बाली की प्रमाणित

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि पेश की। उक्त आराजी गत खसरा नंबर 414 रकबा 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि के सेटलमेंट के दौरान नवसृजित खसरा नंबर 380 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 381 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 382 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 1.33 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर मौजा नई बाली सृजित कर उक्त खातेदारी उका, जूठा पि. डूंगरा, पीरा, प्रागा पि. भगवाना 1/2 हिस्सा, तोला, रूगा, हेमा पिसरान हीरा, तगा वल्द गेना 1/2 हिस्सा कौम पुरोहित साकिन देह खातेदार द्वितीय मिसल बंदोबस्त मौजा नई बाली में दर्ज हुई। जिसके समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल एवं द्वितीय मिसल बंदोबस्त मौजा नई बाली की प्रमाणित प्रति पेश की। आराजी नए खसरा नंबर 380, 381, 382, 383, 387, 388 कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर मौजा नई बाली के पूर्व खातेदार तोला पुत्र हीरा फौत होने से नामांतरणकरण संख्या 76 के जरिए तोला के बजाय कालू वल्द तोला दर्ज किया गया तथा नामांतरणकरण संख्या 77 के स्वीकृत होने से पूरे खाते में कालू की बजाय मसरा पुत्र केवदा कौम सुथार के नाम दर्ज हुई, जो इस वाद में वादी संख्या 1 पक्षकार है तथा रूगा के फौत होने पर उसके स्थान पर वादी संख्या 2 से 6 का नाम दर्ज हुआ तथा पूर्व खातेदार हेमा पुत्र हीरा के स्थान पर जरिए रजिस्ट्री वादी संख्या 7 ने 1/8 हिस्सा खरीद किया। नकल नवीन जमाबंदी संवत् 2050 से 2053, 2054 से 2057, वर्ष 2005, 2066 से 2069 मौजा नई बाली की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 01.07.1999 दस्तावेज बेचान खातेदारी की फोटो प्रति संलग्न वाद पेश है। उक्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हक–हिस्सा गलत दर्ज होने से उनको उक्त वाद में पक्षकार बनाय गया है तथा शेष सहखातेदारों का हक–हिस्सा सही दर्ज होने से उनके हिस्से को चैलेंज नहीं किया होने से उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण का हक–हिस्सा आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4 हिस्सा (गलत दर्ज) को चैलेंज किया गया है अर्थात् उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्से की आराजी विवादित है। वादग्रस्त अराजी नए खसरा नंबर 380, 381, 382, 383, 387, 388 कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर मौजा नई बाली में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 से 6 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया तथा वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/60 हिस्सा, वादी संख्या 3(1) का 1/300 हिस्सा, वादी संख्या 3(2) का 1/300, वादी संख्या 3(3) का 1/300 हिस्सा, वादी संख्या 4 से 6 प्रत्येक का 1/60 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/12 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया, क्योंकि तगा पुत्र गेना के नाम की प्रविष्टि पुराने राजस्व रेकर्ड में दो बार दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 तगा गेना का जायंदा पुत्र है तथा गेना हीरा का पुत्र है। पुरानी प्रविष्टि के अनुसार तोला, रूगा, हेमा, गेना पिसरान हीरा 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 तगा को हीरा का भाई मानकर उसका 1/4 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया एवं वादीगण का हिस्सा पुराने मूल हिस्से से कम दर्ज कर दिया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नए खसरा नंबर 380, 381, 382, 383, 387, 388 कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर मौजा नई बाली में सही हिस्से का विवरण निम्नानुसार है :– वादी संख्या 1 मसरा का 1/8 हिस्सा = 0.5412 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 भूरा का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 3(1) ईश्वर का 1/120 हिस्सा = 0.0360 हैक्टेयर, वादी संख्या 3(2) मुकेश का 1/120 हिस्सा = 0.0360 हैक्टेयर, वादीया संख्या 3(3) सुआ का 1/120 हिस्सा = 0.0360 हैक्टेयर, वादी संख्या 4 भमरा का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 हडमता का 1/40

सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 6 गणपत का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 7 मांगीलाल का 1/8 हिस्सा = 0.5412 हैक्टेयर है। उपरोक्त दर्शित हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी के मौके पर कब्जा काश्त प्रथम सेटलमेंट से निर्बाध रूप से आज दिन तक चला आ रहा है, जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी में टेबल में दर्शित हिस्से की खातेदारी पाने के अधिकारी होने से दावा खातेदारी उद्घोषणा का पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को अपने हक हिस्से की आराजी में से जबरदस्ती बेदखल करने, कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने तथा बेचान हस्तांतरण की धमकी दी, जिस हेतु वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेशकर डिक्री चाही।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जवाबदेही के लिए तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाली जवाब इस अमर का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम त्रुटिवश दुबारा नाम दर्ज हुआ है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की कोई दुर्भावना या दुराश नहीं है। ऐसे हालात में वादीगण के नाम से उनके हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित की जाती है तो जवाब देहिंदा प्रतिवादी को कोई उजर–एतराज नहीं है। जवाब देहिंदा प्रतिवादी अपने 1/8 हिस्से पर ही काबिज व काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण द्वारा चाहे गए अनुतोष माफिक अनुसार सरहद मौजा नई बाली तहसील बागोड़ा में स्थित आराजी खसरा नंबर 380 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 381 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 382 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 1.33 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 मसरा का 1/8 हिस्सा = 0.5412 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 भूरा का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 3(1) ईश्वर का 1/120 हिस्सा = 0.0360 हैक्टेयर, वादी संख्या 3(2) मुकेश का 1/120 हिस्सा = 0.0360 हैक्टेयर, वादीया संख्या 3(3) सुआ का 1/120 हिस्सा = 0.0360 हैक्टेयर, वादी संख्या 4 भमरा का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 हडमता का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 6 गणपत का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 7 मांगीलाल का 1/8 हिस्सा = 0.5412 हैक्टेयर खातेदारी घोषित की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में 1/4 हिस्सा = 1.082 हैक्टेयर के बजाय 1/8 हिस्सा = 0.5412 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज की जाती है तो प्रतिवादी को कोई उजर–एतराज नहीं होने की स्वीकृति प्रदान की।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रेकर्ड तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा का अवलोकन किया एवं मनन किया, जिस पर वादीगण का वाद कानूनी रूप से स्वीकार योग्य है, जिसको डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

–: डिक्री :–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं सरहद मौजा नई बाली तहसील बागोड़ा में स्थित आराजी खसरा नंबर 380 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नंबर 381 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नंबर 382 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 383 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 387 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 1.33 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम कुल रकबा 4.33 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 मसरा का 1/8 हिस्सा = 0.5412 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 भूरा का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 3(1) ईश्वर का 1/120 हिस्सा = 0.0360 हैक्टेयर, वादी संख्या 3(2) मुकेश का 1/120 हिस्सा = 0.0360

सहायक कलक्टर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, वादीया संख्या 3(3) सुआ का 1/120 हिस्सा = 0.0360 हैक्टेयर, वादी संख्या 4 भमरा का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 हडमता का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 6 गणपत का 1/40 हिस्सा = 0.1082 हैक्टेयर, वादी संख्या 7 मांगीलाल का 1/8 हिस्सा = 0.5412 हैक्टेयर खातेदारी घोषित की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में 1/4 हिस्सा = 1.082 हैक्टेयर के बजाय 1/8 हिस्सा = 0.5412 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जाती है तथा उपरोक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी नहीं करें न ही करावे, इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के जारी की जाती है। वादीगण के उक्त घोषणानुसार भूमि को संबंधित रेकर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज करने हेतु तहसीलदार बागोड़ा को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11\10\19 को सरे इजलास पढकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर,
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gomati Sharma
Date: 2019.12.19 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: